

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2008/5-4573

दिनांक: 22/7/08

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 131वीं बैठक दिनांक 18.07.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	131.1 कार्यकारी समिति की 130वीं बैठक दिनांक 28.06.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	131.2 Approvel of tender for the work "widening & Strengthening of approach road from Rohni Nagar-III to Balawala via Mohabbatpura, NRI Colony & Shoe Maker Colony Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Eng. (IIB) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रकरण स्वीकृत किया गया।	Zonal Engineer IIB	
3	131.3 जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाबकानाला तहसील आमेर के खसरा नं. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/594, 15, 16, 17, 19, 19/595, 20, 20/596, 21, 22 35 से 43, 52/597, 56 कुल किता 28 कुल रकबा 4.54 हैक्टर (45400 वर्गमीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (श्री रामकृपा लैण्ड मार्क प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाबकानाला तहसील आमेर के खसरा नं. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/594, 15, 16, 17, 19, 19/595, 20, 20/596, 21, 22 35 से 43, 52/597, 56 कुल किता 28 कुल रकबा 4.54 हैक्टर (45400 वर्गमीटर) भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 8691.70 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करने तथा प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 7358.78 वर्ग मीटर भूमि कम करते हुये शेष 29353.39 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सड़क के लिए समर्पित भूमि का भौतिक कब्जा लिया जावे तथा चारदीवारी समर्पित भूमि को छोड़कर बनाना सुनिश्चित करें। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
4	131.4 जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 942, 943, 938/1859 कम्पनी के नाम व खसरा नं. 944/1860, 945/1861 खातेदार के नाम कुल किता 5 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पिंकसिटी स्टोन कलर स्टोन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 942, 943, 938/1859 कम्पनी के नाम व खसरा नं. 944/1860, 945/1861 खातेदार के नाम कुल किता 5 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि में से 200' चौड़ी सड़क में निहित होने वाली 2616 वर्ग मीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 7284.00 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सड़क के लिए समर्पित भूमि का भौतिक कब्जा लिया जावे तथा चारदीवारी समर्पित भूमि को छोड़कर बनाना सुनिश्चित करें। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
5	131.5 जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के ख.नं. 2199, 2200, 2381, 2382, 2383, 2384, 2386, 2387 2388/3324, 2389/3325, 2391/3327 किता 11 रकबा 3.15 हैक्टर का भू-उपयोग आवासीय व मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री गोपाल लाल मीना)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के ख.नं. 2199, 2200, 2381, 2382, 2383, 2384, 2386, 2387 2388/3324, 2389/3325, 2391/3327 किता 11 रकबा 3.15 हैक्टर भूमि में से सेक्टर रोड के अन्तर्गत निहित भूमि को खातेदार द्वारा निःशुल्क जविप्रा में समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का भू-उपयोग आवासीय व मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया धारा 25(1) की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सड़क के लिए समर्पित भूमि का भौतिक कब्जा लिया जावे तथा चारदीवारी समर्पित भूमि को छोड़कर बनाना सुनिश्चित हाईटेन्शन लाईन से सुरक्षित दूरी नो कन्स्ट्रक्शन एरिया जोन के रूप में छोड़ी जावे जो फेसिलिटी में भी सम्मिलित नहीं होगी। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन- 9	


(Handwritten signature)

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
6	131.6	मूर्तिकला योजना में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मूर्तिकला योजना में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि को नियमानुसार ब्याज व पैनल्टी की राशि के साथ नियमितकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12
7	131.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी के खसरा नं. 6, 7 व 14 कुल किता 3 कुल रकबा 58 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 175752.5 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (जगदम्बा अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में पूर्व कार्यकारी समिति की 124वीं बैठक दिनांक 18.01.08 में लिये गये निर्णयानुसार आवेदक द्वारा पर्याप्त अप्रोच रोड उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं किया गया तथा वर्तमान में योजना के लिए पर्याप्त अप्रोच रोड नहीं है। अतः प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12
8	131.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित सनलाईफ बिल्डकोन प्रा.लि. की भूमि तहसील सांगानेर के ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 589/3, 594/1 एवं 595 रकबा 1.54 अर्थात् 15400 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण राजकीय/अर्द्धराजकीय से (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सनलाईफ बिल्डकोन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सनलाईफ बिल्डकोन प्रा.लि. की भूमि तहसील सांगानेर के ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 589/3, 594/1 एवं 595 रकबा 1.54 है। अर्थात् 15400 वर्ग मीटर भूमि में से 60 मीटर चौड़ी सैक्टर सडक में निहित होने वाली 6034.64 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 9365.36 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण राजकीय/अर्द्धराजकीय से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सडक के लिए समर्पित भूमि का भौतिक कब्जा लिया जावे तथा चारदीवारी समर्पित भूमि को छोड़कर बनाना सुनिश्चित करें। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7
9	131.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के भू.सं. 164 वर्गगज क्षेत्रफल 248.88 वर्ग गज (208.09 मीटर) का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (जितेन्द्र अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में उक्त सडक पर पार्किंग की समस्या को देखते हुये प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7
10	131.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम लुनियावास तहसील आमेर के खसरा नं. 477, 477/571 व 469 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टयर अर्थात् 8850 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री शांति लाल हीरावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम लुनियावास तहसील आमेर के खसरा नं. 477, 477/571 व 469 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टयर अर्थात् 8850 वर्ग गज भूमि में से सडक सीमा में आने वाली 891.7 वर्गगज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं प्लाटेशन कोरीडोर से प्रभावित 2569.4 वर्गगज भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 5388.09 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सडक के लिए समर्पित भूमि का भौतिक कब्जा लिया जावे तथा चारदीवारी समर्पित भूमि को छोड़कर बनाना सुनिश्चित करें। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12
11	131.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बूजलालपुरा तह. जयपुर के ख.नं. 4/1 की 2 बीघा (5058.56 वर्ग मीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (ताराचन्द व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बूजलालपुरा तह. जयपुर के ख.नं. 4/1 की 2 बीघा (5058.56 वर्ग मीटर) भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का इस शर्त के साथ निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अपनी भूमि में से 60 फीट सडक के पश्चात् 40 फीट अतिरिक्त भूमि छोड़ेगा, जिसका फायदा एफएआर एवं उचाई में भी देय नहीं होगा। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-5

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
12	131.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ज्योति जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भू.सं. 86 से 89 व 101 से 104 क्षेत्रफल 3049.22 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (ब्रज प्लेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ज्योति जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कालोनी के पुर्नगठित भू.सं. 86 से 89 व 101 से 104 क्षेत्रफल 3049.22 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रार्थी अपनी भूमि में से 80 फीट रोड की तरफ 20 फीट, 40 फीट रोड की तरफ 10 फीट एवं 30 फीट रोड की तरफ 10 फीट अतिरिक्त भूमि छोड़ेगा जिसका फायदा एफएआर एवं उचाई में भी देय नहीं होगा। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) जोन-9	
13	131.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राठौड नगर के भू.सं. 165 वर्गगज क्षेत्रफल 350 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (आशुतोष बंसल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में उक्त सडक पर पार्किंग की समस्या को देखते हुये प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
14	131.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या डी-359 क्षेत्रफल 345.33 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (नरेश पारवानी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में उक्त सडक पर पार्किंग की समस्या को देखते हुये प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-1	
15	131.15	Approval of double scheme standing seam aluminium roofing over Indoor Polo Arena OASES Campus Jagatpura.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Eng. (S R) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Zonal Engineer (SR)	
16	131.16	Deposition of Proportionate share cost of drinking water of Bisalpur-Jaipur water supply project to PHED for JDA Schemes.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer (PHE-I)	
17	131.17	Establishment of control Room "Intergrated Jaipur Facilitation Centre" in the office of Director Local Bodies, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Eng. के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रकरण स्वीकृत किया गया।	Zonal Engineer	
18	131.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा सृजित की जा रही इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर एवं गोल्फ कोर्स योजना तथा होटल हेतु अजमेर रोड से योजना तक प्रस्तावित सडक तथा योजना से विकसित भूमि तक जाने वाली सडक व विकसित भूमि दी जाने वाली जविप्रा की खातेदारी एवं अवाप्ताधीन भूमि कुल रकबा लगभग 205.00 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक/सरक्यूलेशन उपान्तरण किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा सृजित की जा रही इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर एवं गोल्फ कोर्स योजना तथा होटल हेतु अजमेर रोड से योजना तक प्रस्तावित सडक तथा योजना से विकसित भूमि तक जाने वाली सडक व विकसित भूमि दी जाने वाली जविप्रा की खातेदारी एवं अवाप्ताधीन भूमि कुल रकबा लगभग 205.00 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक/सरक्यूलेशन उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण एसएलसी की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि :-


1. समस्त जोनो द्वारा जविप्रा अधिनियम की धारा 25(1) की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सडक के लिए समर्पित भूमि का भौतिक कब्जा लिया जावे।
2. समस्त जोनो द्वारा जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) की अधिसूचना जारी करते समय समाचार पत्रों में अधिसूचना के साथ Key Plan भी लगाया जावे।
3. एच.टी./एल.टी. विद्युत लाईन के नीचे की भूमि को सुविधा में शामिल नहीं करने के संबंध में निदेशक (आयोजना) प्रस्ताव प्रस्तुत करें।


सदस्य सचिव,
जविप्रा, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2008/ 81-4573
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-


क.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	ज़िला कलक्टर	ज़िला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 131वीं बैठक दिनांक 18.07.08 को दोपहर बाद 03.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री अशोक जैन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री अशोक जैन	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री रामनिवास मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एस.सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री सुनिल शर्मा	शासन उपसचिव	नगरीय विकास विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री अजित कुमार गुप्ता	ईई व टीए	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री आनन्द मोहन	अति. निदेशक	डी.एल.बी.	
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्री बी.के.दोषी	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री महेन्द्र सोनी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री नरेश कुमार शर्मा	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री मोहन टोरी	एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री एन.सी. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री इकबाल खान	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री एस. मित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	डा. बी.डी. कुमावत	तहसीलदार जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री आकाश तोमर	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री सुखवीर सेनी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री बी.एल. रावत	जोनल इंजीनियर (एस.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री सी.के. बाफना	सर्किल इंजीनियर (एस.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री उमेश धोंगडा	सर्किल इंजीनियर (पीएचई)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री रतन लाल जाजू	सर्किल इंजीनियर (द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25	श्री आ.डी. गुर्जर	जोनल इंजीनियर (11बी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


सचिव,
जयपुर, जयपुर